

प्रश्न सं. [क. 1161]
विधानसभा अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक 1161 'क'

क्रमांक	जिले का नाम	बिल्डर/सम्पर्क का नाम	प्राप्त शिकायतों की
1	Gwalior	JAETAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	30
2	Gwalior	Healty Business Pvt. Ltd.	23
3	Gwalior	Angels Real build india Pvt Ltd	11
4	Gwalior	ASSOTECH CP INFRASTRUCTURE PVT LTD	5
5	Gwalior	JITENDRA SINGH KUSHWAH	4
6	Gwalior	सालासर बालाजी रियल इंफ्रा	2
7	Gwalior	Adarsh Awas Vikas Pvt Ltd through Adarsh Singh Kushwah and Neetu Maheshwari	1
8	Gwalior	श्री योगेश खंडेलवाल	1
9	Gwalior	सालासर हाइट्स	1
10	Gwalior	में/स सनलाइफ इंफ्राटेक	1
11	Gwalior	amar singh kamariya s/o ramprasad singh	1
12	Gwalior	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधव रओ काउंटर मैगनेट सिटी)	1
13	Gwalior	वीरेंद्र कुमार गुप्ता	1
14	Gwalior	1. Arun Sindey S/o Late Shri Gulabrav Sindey aged 65 years, 2. Pradeep Sindey S/o Late Shri Gulabrav Sindey aged 50 years, 3. Pramod Sindey S/o Late Shri Gulabrav Sindey aged 45 years, 4. Uday Sindey S/o Late Shri Annasaheb Sindey aged 38 years, All R/o	1
15	Gwalior	रविन्द्र तोमर, भूपेंद्र तोमर	1
16	Gwalior	HG INFRA TECH PVT LTD	1
17	Gwalior	Divya Bhadoriya	1
18	Gwalior	Mr. N.P. Mishra	1
19	Gwalior	मुकेश तिवारी उपाध्यक्ष यशोदा ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर	1
20	Gwalior	रजत गोयल	1
21	Gwalior	राधा मोहन गुप्ता	1
22	Gwalior	रामवीर सिंह धाकड़	1
23	Gwalior	शशि चांडिल	1
24	Gwalior	दिनेश परिहार	1
25	Gwalior	सुधीर सिंह	1
26	Gwalior	धीरज खरे	1
27	Gwalior	सागर पैराडाइस- RERA registration no is P-OTH-17-577	1
28	Gwalior	रवि कुलश्रेष्ठ	1
29	Gwalior	Adarsh Awas Vikas Pvt Ltd through Adarsh Singh Kushwah and Neetu Maheshwari	1
30	Gwalior	शशि नरवारिया	1
31	Gwalior	Arvind Bindal S/o Shri Shyamal Bindal	1
32	Gwalior	DIVINE HOUSING DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	1
33	Gwalior	तरुण कौशिक	1
34	Gwalior	RAJIV CHAUHAN	1
35	Gwalior	DHAIRYA GAUR	1
36	Gwalior	ARIF ALI	1
37	Gwalior	BLUE LOTUS CONSTRUCTION PVT. LTD.	1
38	Gwalior	सत्येंद्र सिंह जादौन , महावीर सिंह सिकरवार, द्वारका यादव, लक्ष्मीनारायण शिवहरे	1
39	Gwalior	ADITYA DEVELOPER (INDIA) PVT. LTD	1
40	Gwalior	KESHAR INFRASTRUCTURES	1
41	Gwalior	HG INFRA TECH PVT LTD	1
42	Gwalior	JAIDEEP AGARWAL	1
43	Gwalior	Kishore kakkad	1
44	Gwalior	sunita sharma	1

Total - 113

Dinesh
2022

12/12/22

(एस. के. विश्वकर्मा)
अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल

परन्तु किसी भी चरण में कालोनाइजर बंधक सम्पत्तियों के बदले बैंक गारण्टी संबंधी विकल्प कर चयन कर सकेगा, तथापि बैंक गारण्टी शेष बचे आंतरिक विकास कार्य की लागत के 125 प्रतिशत के बराबर होगी।

19. आंतरिक विकास कार्य पूर्ण किया जाना.— कालोनाइजर द्वारा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात्, विकास कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना प्ररूप-पांच क में सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिन की कालावधि के भीतर संबंधित कालोनी के विकास कार्यों का निरीक्षण सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराएगा तथा विकास कार्य पूर्ण पाए जाने की स्थिति में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्ररूप-पांच ख में जारी किया जाएगा। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख को संबंधित कालोनी, संधारण के लिए, म0प्र0 प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 2019 के तहत गठित रहवासी कल्याण समिति को अंतरित की गई समझी जाएगी।
20. अनुज्ञा के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई.— यदि कोई कालोनाइजर नियम 14 तथा 15 के उपबंधों के अधीन नियत निबंधनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा नियम 17 के अधीन विहित समयसीमा के भीतर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है, तब उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी :-
 - (1) समपद्धत संपत्तियों का व्ययन करेगा या बैंक प्रत्याभूति को भुनाएगा और इस प्रकार भुनाई गई राशि से आंतरिक विकास कार्य पूर्ण कराएगा अथवा अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करेगा।
 - (2) यदि उप-नियम (1) के अधीन की गई कार्रवाई से प्राप्त राशि अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई जाए, तो उस दशा में, शेष राशि, कालोनाइजर से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी, उपरोक्त कार्रवाई करने से पूर्व कालोनाइजर को 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए लिखित नोटिस जारी करेगा, और यदि उचित समझे तो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करेगा तथा प्रत्येक मामले को गुणदोष के आधार पर तय करेगा।
21. कालोनियों की सूची प्रकाशित किया जाना.— सक्षम प्राधिकारी उन कालोनियों की सूची जिनको विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार के माध्यमों से प्रकाशित करेगा और संबंधित नगरपालिका की वेबसाइट पर, प्रदर्शित भी करेगा।